न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी, नरेश कुमार ठकराल आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 35/2016/अपील आवश्यक वस्तु अधिनियम

ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. कुड़ली तहसील व जिला सीकर जरिये अध्यक्ष नेमीचन्द आर्य पुत्र अनोखा राम जाति जाट निवासी ग्राम कुड़ली तहसील व जिला सीकर (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

1. जिला रसद अधिकारी, सीकर (राजस्थान)
2. सोनम पुत्री जगदीश प्रसाद ओला जाति जाट निवासी कुड़ली, तहसील व जिला सीकर (राजस्थान)

रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितः–

1. श्री सुरजभान सिंह अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री महेन्द्र पारीक अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।

Web Copy Not Official

अपील अन्तर्गत नियम 22 राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनिमय आदेश–1976 विरूद्व निर्णय जिला रसद अधिकारी

निर्णय

सुनवाई दिनांकः अक्टूबर, 2017 दिनांकः 06 नवम्बर, 2017

1. अपीलान्ट ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने ग्राम पंचायत कुड़ली में राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमयन) आदेश 1976 के खण्ड 3(1) के तहत उचित मूल्य की दुकानों के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जिस पर दिनांक 15.07.2016 को साक्षात्कार आयोजित किया। अपीलांट का प्रतिनिधि व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 साक्षात्कार में उपस्थित आये।

साक्षात्कार के पश्चात उसी दिन राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के बावजूद बेबुनियाद आधारों पर अपीलांट का आवेदन निरस्त कर दिया। इसके पश्चात उसी दिन पुनःश्च लिखकर अपीलांट का आवेदन स्वीकार कर लिया फिर उस पर 05.08.2016 दिनांक अंकित कर दी और फिर उस आदेश को काट दिया और फिर दुबारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया इससे पूर्व ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का आवेदन स्वीकार कर 1000/ रूपये प्रतिफल राशि जमा करवाने का आदेश दिनांक 27.07.2016 को जारी कर दिया और उसके पश्चात उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां सीकर को दिनांक 23.08.2016 को ग्राम सेवा सहकारी समिति कुड़ली के बारे में उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां के दिशा निर्देश मांगे। उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां ने अपने पत्र उत्तर के जरिये दिनांक 30.08.2016 को नियमानुसार कार्यवाही करने का पत्र जिला रसद अधिकारी के पक्ष में जारी कर दिया। इसके पश्चात जिला रसद अधिकारी सीकर ने कोई आदेश पारित नहीं किया जिससे स्पष्ट है कि जिला रसद अधिकारी सीकर ने भ्रष्ट आचरण कर राज्य सरकार के दिशा निर्देशाों की अवहेलना कर व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए आदेश की पीछे की तारीखों में कार्यवाही की। उक्त आदेश पर कोई दिनांक नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट इस अपील के माध्यम से इस न्यायालय में आया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से वकील श्री महेन्द्र पारीक ने वकालतनामा पेश किया।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने ग्राम पंचायत कुड़ली में राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमयन) आदेया 1976 के खण्ड 3(1) के तहत उचित मूल्य की दुकानों के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जिस पर दिनांक 15.07.2016 को साक्षात्कार आयोजित किया जिस पर अपीलांट का प्रतिनिधि व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 साक्षात्कार में उपस्थित आये। साक्षात्कार के पश्चात किसी दिन राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के बावजूद बेबुनियाद आधारों पर अपीलांट का आवेदन निरस्त कर दिया। राज्य

सरकार ने दिनांक 17.03.2016 को परिपत्र जारी कर उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन प्रक्रिया के लिए दिशा निर्देश जारी किये जिसके नियम 4 (क)(1) में यह स्पष्ट बताया है कि चयन प्रक्रिया में प्रथम वरीयता ग्राम सेवा सहकारी समिति जो सहकारी अधिनियम के तहत पंजीकृत है अर्थात अपीलांट को दी जायेगी। लेकिन जिला रसद अधिकारी मनमाने तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए अपीलांट का आवेदन अस्वीकार कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 आवंटन समिति का अध्यक्ष हैं, और यदि आवंटन समिति के सदस्यों का बहुमत का निर्णय हो तो वह राज्य सरकार के दिशा निर्देशों को मानने के लिए बाध्य है। लेकिन उन्होनें पदीय कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर गलत निर्णय पारित कर दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकर फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाना प्रार्थनीय है।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के योग्य अभिभाषक का मुख्य कथन था कि अपीलांट ने यह अपील मियाद बाहर पेश की है इसलिए अपील मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय डीएसओ सीकर द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत एवं उचित है जिसमें कोई कानूनी त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमााई जावे।

6. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र का परीक्षण मियाद के बिन्दु पर किया गया, अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र के सलंग्न मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया जाकर 30.08.2016 को प्रकरण की जानकारी होना अंकित कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया है। अपीलांट का उक्त प्रार्थना पत्र धारा 5 न्यायहित में स्वीकार किया जाकर विलम्ब अवधि का शमन किया जाता है।

7. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। जिनसे स्पष्ट होता है किः–

(1) ग्राम कुड़ली 1/2 ग्राम पंचायत कुड़ली तहसील सीकर जिला सीकर की उचित मूल्य दुकान के आंवटन हेतु कार्यालय में उचित मूल्य दुकान की विज्ञप्ति जारी होने पर निम्न 7 आवेदन प्राप्त हुयेः–

क्र. स.	आवेदक का नाम	शैक्षणिक योग्यता
1	विजय कुमार पुत्र नन्दाराम जाट	स्नातक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2	जसवंत कुमार ओला पुत्र सुरजन सिंह ओला	स्नातक
3	सुनील कुमार पुत्र बाबूलाल सैनी	स्नातक
4	सुमन /सांवरमल	स्नातक
5	सोनम/जगदीश प्रसाद	स्नातक
6	महिपाल सिंह पुत्र नेमीचंद आर्य	12 वीं
7	जीएसएस कुड़ली द्वारा सहायक व्यवस्थापक नेमीचंद आर्य	12 वीं

दिनांक 15.07.2016 को आयोजित साक्षात्कार में उपर्युक्त में से पांच आवेदक उपस्थित हुए जिनमे से आंवटन सलाहकार समिति के तीन सदस्यो तथा जिला रसद अधिकारी सीकर अध्यक्ष आवंटन सलाहकार समिति द्वारा सोनम/जगदीश प्रसाद ओला के पक्ष में तथा सरपंच ग्राम पंचायत कुड़ली द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समिति कुड़ली के पक्ष में अभिशंषा की गई। विभागीय निर्देशो के अनुसार ग्राम सेवा सहकारी समिति वरियता प्रथम में अंकित है इसके बावजूद जिला रसद अधिकारी सीकर द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समिति कुड़ली के पक्ष में अभिशंषा नही करने का कारण ग्राम सेवा सहकारी समिति में सहायक व्यवस्थापक महिपाल पुत्र नेमीचंद आर्य के ताऊ का बेटा भाई राशन डीलर होना बताया है। जबकि निर्देशो में आवेदक के परिवार में किसी सदस्य यथा माता/पिता/पुत्र/पुत्री के नाम से कोई दुकान नही होना ही लिखा है। दिनांक 05.08.2016 को जिला रसद अधिकारी सीकर द्वारा पुनः जीएसएस कुड़ली के पक्ष में अभिशंषा की जाकर इसे काटा गया है।

(2) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा उचित मूल्य दुकानदारो के आवंटन हेतु जारी दिशा–निर्देश (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग पत्र क्रमांक एफ17(1)खावि/विधि/08 दिनांक 17.03.2016) के अनुसार चयन प्रक्रिया में प्रथम वरियता " ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस (वृहत्तर क्षैत्रीय बहु उद्देशीय सहकारी समिति) दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है" को प्राप्त है, साथ ही विभागीय निर्देशो में ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा आवेदन किये जाने पर आवंटन सलाहकर समिति की बैठक में सहकारिता विभाग के जिला उपपंजीयक अथवा सहायक पंजीयक को आमन्त्रित करने के निर्देश है किन्तु दिनांक 15.07.2016 को आयोजित साक्षात्कार में इन्हें आमंत्रित नही किया गया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

(3) जीएसएस कुड़ली हेतु आवेदन महिपाल सिंह पुत्र नेमीचंद आर्य सेल्समैन द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसके साथ रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (डुप्लीकेट की फोटो प्रति) रजिस्ट्रेशन नं. 417/14.10.1960, ऑडिट रिपोर्ट, उचित मूल्य दुकान हेतु प्रस्ताव, बैंक स्टेटमेंट इत्यादि दस्तावेज संलग्न किये है।

(4) कार्यालय जिला रसद अधिकारी सीकर के पत्रांक रसद/2016/3049 दिनांक 23.08.2016 में उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति सीकर से आवेदक महिपाल सिंह पुत्र नेमीचंद आर्य की सहायक व्यवस्थापक पद पर नियुक्ति की स्थिति एवं ग्राम सेवा सहकारी समिति कुड़ली को उचित मूल्य दुकान आवंटित की जा सकती है या नही तथा काफी समय पूर्व ग्राम सेवा सहकारी समिति कुड़ली का प्राधिकार पत्र निरस्त होना अंकित कर जानकारी चाही गई, जिस पर उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां सीकर ने अपने पत्रांक 2053 दिनांक 30.08.2016 में ग्राम सेवा सहकारी समिति कुड़ली को नियमानुसार उचित मूल्य दुकान आवंटित की जाने हेतु लिखा है।

(5) अधिशाषी अधिकारी सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. सीकर ने अपने पत्रांक एसके एसबी/प्रशासन सेल/राजस्थान सम्पर्क/2016/40857 दिनांक 29.09.2016 द्वारा अध्यक्ष कुड़ली ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. को श्री जगदीश ओला द्वारा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत करने तथा जांच करवाने के उपरान्त श्री महिपाल पुत्र नेमीचंद जाट को ग्राम सेवा सहकारी समिति कुड़ली में सेल्समैन पद पर नियुक्ति हेतु विधिवत प्रक्रिया नही अपनाने के कारण तीन दिवस में पद से हटाने हेतु निर्देशित किया गया है।

(6) कार्यालय जिला रसद अधिकारी सीकर के पत्र दिनांक 27.07.2016 में सोनम/जगदीश प्रसाद का चयन होना तथा 1000/– रू. प्रतिभूति राशि चालान द्वारा राजकोष में जमा कराने हेतु लिखा गया है जिस पर दिनांक 01.08.2016 को चालान से प्रतिभूति राशि 1000/– रू. जमा कराये जा चुके है। वर्तमान मे उचित मूल्य दुकान कुड़ली 1/2 हेतु प्राधिकार पत्र जारी नही किया गया है तथा प्रकरण माननीय न्यायालय जिला कलक्टर सीकर में विचाराधीन है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के उचित मूल्य दुकानो के आवंटन हेतु जारी दिशा निर्देश दिनांक 17.03.2016 के अनुसार प्रथम वरियता में ग्राम सेवा सहकारी समिति को रखा गया है। किन्तु साथ ही आवेदक/समितियो/समूह/निकाय में सचिव/प्रबंधक का कम्प्यूटर दक्ष एवं शैक्षणिक योग्यताओ को पूर्ण करना अनिवार्य है जो

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कि आरकेसीएल या अन्य समकक्ष संस्थान का कम्प्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र एवं स्नातक (शैक्षणिक योग्यता) रखा गया है। चूंकि जीएसएस कुड़ली द्वारा प्रस्तुत अपने आवेदन में शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज 12वीं उतीर्ण ही संलग्न किये गये है।

8. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उचित मुल्य दुकान कुडली 1/2 भाग के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों में शैक्षणिक योग्यता का परीक्षण एवं दिनांक 15.07.2016 को आयोजित साक्षात्कार में विधिवत प्रक्रिया का पालन नही कर चयन प्रक्रिया में राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के नियम 4(क)(1) की अवहेलना की गई है।

9. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी द्वारा उचित मूल्य दुकान (कुडली भाग 1/2) के आवंटन हेतु की गई कार्यवाही को निरस्त किया जाकर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए पुनः आवंटन सलाहकार समिति की बैठक (साक्षात्कार) आयोजित कर अपना विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

10. निर्णय आज दिनांकः 06 नवम्बर, 2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला कलक्टर, सीकर